P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-2* May- 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

महिला सशक्तीकरण में बाधक महिलाओं में प्रचलित अंधविश्वास

मनीषा भदौरिया
प्रवक्ता,
गृहविज्ञाान विभाग,
राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय,
घामरोज, गुरुग्राम,
हरियाणा

सारांश

थोड़ी बहुत जैविक सरंचनाओं मे भिन्नता के बावजूद नारी किसी भी रूप में पुरुष से कमतर नही । पितृसत्तात्मक पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था के चलते पुरुष और स्त्री की समानता के सच को प्रायः स्वीकार नही किया गया। यद्यपि अतीत में पितृसत्तात्मक सोच के उल्लघंन और नारी स्वातंत्र्य के लिये किये गए रचनात्मक प्रयासों के बहुत से उदाहरण मिल जाते हैं । विशेष रूप से भारतीय नवजागरण में नारी सहानुभूति की एक लहर देखने को मिलती है। स्वतंत्रता मिलने के बाद नारी के बेहतर जीवन के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर बहुत सी योजनाएं हम सबके सामने हैं किंतु सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण संभव न हो सका। पुरुष वर्चस्व की सड़ी गली मानसिकता के साथ नारी समाज में व्याप्त अंध विश्वास भी महिला सशक्तिकरण में बाधक हैं। अंधविश्वास वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विपरीत ध्रुव है जो मूलतः भावनाओं और संवेगों पर टिके रहते हैं। भय लोभ तथा धर्म इस अंधविश्वास के मूलभूत स्रोत है। कुछ सामाजिक अंधविश्वास विधवाओं को सम्मान का जीवन नही जीने देते। संतानविहीन नारी को इन अंधविश्वासों के चलते उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। कुछ अंधविश्वास इन अंधविश्वासों को निर्लज्ज समर्थन देते हैं । नारी को पुरुष से हीनतर मानने की साहित्य तथा समाज मे शक्तिशाली परम्परायें मौजूद हैं जो पुरुष वर्चस्व से जुड़े अंधविश्वासों को गढ़ती हैं । लड़का वंश चलाने के साथ दहेज भी लाएगा, माँ बाप का अंतिम संस्कार बेटा ही करेगा । इन सड़े गले अंधविश्वासों ने न केवल लिंग–भेद को समर्थन दिया है बल्कि कन्या भ्रूण हत्या को भी प्रोत्साहित किया है। इन अंधविश्वासों से मुक्त होने के लिये नारी को शिक्षित तथा आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी होने के साथ–साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सम्पन्न किये जाने की आवश्यकता है ।पूरे समाज और राष्ट्र को मिशनरी भावना के साथ इन अंधविश्वासों पर निर्णायक प्रहार करना होगा तभी महिला सशक्तिकरण को पूर्णता प्राप्त होगी ।

मुख्य शब्द : महिलासशक्तिकरण, अंधविश्वास, पितृसत्तात्मक, भारतीय नवजागरण, रूढ़ि, लिंगभेद, कन्या भ्रूण हत्या

प्रस्तावना

यह एक स्थापित सत्य है कि इस विश्व में वही अपने अस्तित्व को बनाये रख सकता है जिसमें अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में अपने अस्तित्व को बनाये रखने की शक्ति हो। डार्विन का Survival Of The Fittest इसी स्थापित सत्य का समर्थन करता है। सच तो यह है कि इस विश्व में जीवन मात्रशक्ति पर ही टिका हुआ है। यदि मनुष्य और अन्य जीवधारियों में आवश्यक शक्ति की विद्यमानता न हो तो वह बदलते हुए परिवेश तथा पारिस्थितिकी में स्वयं को सक्षम तथा प्रासंगिक सिद्ध नहीं कर सकता इसलिए सशक्तीकरण हमारे लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है।

यह भी एक सर्वस्वीकार्य तथ्य है कि मनुष्य और अन्य जीवधारियों में शक्ति या ऊर्जा का अस्तित्व एक सा नहीं होता। जैविक संरचना, परिवेश की भिन्नता और पारिस्थितिकी के बदलाव के अनुसार शक्ति के अनुपात में भिन्नता बनी रहती है। मृत्यु जिसे हम अनेक दृष्टियों से परिभाषित करते हैं वह भी शक्ति के क्षय हो जाने की एक स्वाभाविक परिणति है और इसीलिए सभी प्राणियों की मृत्यु का अनुपात भी भिन्न–भिन्न होता है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य सहित सभी जीवधारी मृत्यु के प्रतिरोध के लिए अपनी–अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही शक्ति के संचय का प्रयास करते हैं।

इसे एक विडम्बना ही कहेंगे कि मनुष्य के जैविक विकास की प्रक्रिया में प्रकृति प्रदत्त थोड़ी बहुत जैविक संरचनाओं की भिन्नता के बावजूद

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-2* May- 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

शारीरिक सामर्थ्य, बौद्धिक क्षमताओं तथा प्रतिभा विकास की दृष्टि से समान होते हुए भी नारी को पुरुष से हीन माना गया। निश्चय ही इस अवधारणा की पृष्ठभूमि में अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक हैं किंतु इन कारणों के मूल में पुरुष वर्चस्व की रूढ़िगत अवधारणा है जिसके चलते ऐतिहासिक रूप से नारी को पुरुष से हीनतर माना गया और इसे भी एक विडम्बना ही कहा जायेगा कि इस स्थिति को नारी ने भी अपनी नियति मान लिया। ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से बदलाव न आया हो किंतु यह बदलाव हमारे सामाजिक ढाँचे का स्थायी भाव न बन सका। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि अस्थायी रूप से ही सही महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को अतीत में न केवल अनुभव किया गया बल्कि उसको व्यावहारिक रूप देने के प्रयत्नों को भी स्पष्ट रूप से देखा और महसूस किया जा सकता है। यह बात अलग है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के ढाँचे में सामाजिक और राजनीतिक कारणों से आये बदलावों के बावजूद महिला सशक्तीकरण पूरी तरह से विकास की दिशा में आगे न बढ़ सका। निःसंदेह पितृसत्तात्मक पारिवारिक ढाँचा इसके लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है किंतु यह एक वास्तविकता है कि इसके लिए उत्तरदायी कारणों में महिलाओं की सोच का भी महत्वपूर्ण स्थान है। स्वाभाविक रूप से पुरुषों की तुलना में महिलाएँ प्रचलित अंधविश्वासों से अधिक व्यापक रूप से प्रभावित होती हैं और तब महिला सशक्तीकरण के लिए किए गये बहुत से प्रयास निष्फल हो जाते हैं। प्रस्तुत प्रबंध में महिला सशक्तीकरण के समानान्तर महिलाओं में प्रचलित अंधविश्वासों का अध्ययन करते हुए हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि महिला सशक्तीकरण के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को ये अंधविश्वास किस हद तक तथा किस रूप में प्रभावित कर रहे हैं।

यूँ तो महिला सशक्तीकरण का एक सामान्य आशय है जिससे हम सभी परिचित हैं किंतु इसका एक विशेषीकृत अर्थ भी है जिसे हमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के आलोक में समझना होगा।[1] डॉ. दासरथी भूयान के शब्दों में "Women Empowerment is a new phrase in the vocabulary of gender literature- The phrase is used in two broad sense i-e- empowering women to be self - dependent by providing them access to all the freedom and opportunities. which they were denied in the past only because of their being women- In a specific sense women empowerment refers to enhancing their position in the power structure of society"

भूयान नारी सशक्तीकरण को दो पक्षों में परिभाषित करते हैं, पहला पक्ष नारी को वह अवसर व स्वतंत्रता देने की बात करता है जो अतीत में उसे नहीं मिले तथा दूसरा पक्ष समाज के ढाँचे में उसके अस्तित्व को और मजबूत करने की पैरवी करता है।[2] वहीं UNO के अनुसार महिलाओं का अपने जीवन, अपने शरीर तथा अपने वातावरण पर नियंत्रण प्राप्त करना महिला सशक्तीकरण है।

"Empowerment literally means "To invest with Power"- In the context of women's empowerment the term has come to denote women's increased control over their own lives bodies and environment"

श्रीनिवास[3] महिलाओं का उनके जीवन पर अधिकार प्राप्त करने को सशक्तीकरण कहते हैं– "Empowerment is defined as the process by which women take control and ownership of their lives through expansion of their choices- It is the process of acquiring the ability to make strategic life choices in a context where this ability has previously been denied-"

इस प्रकार नारी मुक्ति के वे सभी अवसर जो उसे अतीत में उपलब्ध नहीं थे उनको प्राप्त करने के प्रयासों और वर्तमान में शक्ति व क्षमता अर्जित करने की प्रक्रिया इन दोनों के सम्मिलित स्वरूप को नारी सशक्तीकरण कहा जा सकता है।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि नारी सशक्तीकरण की प्रक्रिया भले ही आधुनिक युग में अधिक प्रभावशाली हो पायी किंतु इसको छितराये हुए रूप में प्राचीनकाल से ही देखा जा सकता है। अंतर केवल इतना ही है कि प्राचीनकाल में नारी सशक्तीकरण की प्रक्रिया को निरंतरता प्राप्त नहीं हो सकी। आधुनिक काल में पहली बार नारी सशक्तीकरण की धारा को हम अविरल रूप से प्रवाहित होता हुआ पाते हैं। भारत में उन्नीसवीं सदी के तीसरे–चौथे दशक से नवजागरण का जो दौर आरंभ हुआ उसमें नारी के विकास के लिए सीमित प्रयत्न किये गये। निःसंदेह भारतीय नवजागरण काफी हद तक यूरोप से प्रेरित तथा प्रभावित रहा और विशेष रूप से नारी उत्थान को लेकर उसे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक आते–आते नारीवादी चिन्तन भारतीय नवजागरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष बन गया और बंगाल व महाराष्ट्र में बहुत से नारी सुधार के आंदोलन उभरकर सामने आये। आजादी के बाद से ही भारत सरकार भी महिलाओं को सशक्त बनाने हुते प्रयासरत है। हाँ समय–समय पर इन प्रयासों के नाम बदलते रहे हैं। कभी इन्हें महिला कल्याण, कभी महिला विकास और आजकल महिला सशक्तीकरण के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु भारत सरकार निम्नलिखित प्रयास कर रही है।[4] महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तीकरण करने के उद्देश्य से 2001 में महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति (एन.पी.आर.डब्ल्यू.) का प्रतिपादन भविष्य की रूपरेखा में किया गया। एन.पी.आर.डब्ल्यू. में महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त करने, कानून प्रणाली सहित मौजूदा संस्थाओं को सशक्त बनाने, स्वास्थ्य संबंधी देखरेख और अन्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच उपलब्ध कराने, निर्णय लेने के क्रम में महिलाओं की भागीदारी के समान अवसर उपलब्ध कराने और विकास की प्रक्रिया में महिलाओं से जुड़े सरोकारों को मुख्यधारा में लाने आदि के उद्देश्य निर्धारित किए गये हैं।

उद्देश्य

1. नारी सशक्तिकरण की अवधारणा को अधोपित करते हुए उसके ऐतिहासिक एव आधुनिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करना।
2. अन्धविश्वासो – विशेष रूप से पितृसत्तात्मक पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था की कोख से जन्मे नारी सशक्तिकरण में बाधक अन्धविश्वास के स्वरूप की विवेचना करना।
3. इन अन्धविश्वासों के निराकरण के लिए रचनामत्क उपायों की प्रस्तुति।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही सरकार द्वारा कई कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं जैसे–

1. राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम
2. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
3. महिलाओं के प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के लिए सहायता कार्यक्रम (स्टेप)
4. मध्य गांगेय क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका कार्यक्रम प्रियदर्शिनी
5. स्वाधार
6. अल्पावधि आवास गृह
7. कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल
8. उज्ज्वला आदि।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिला सशक्तीकरण के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए गये और इनका लाभ भारतीय महिलाओं तक पहुँचा भी है किंतु इन सारे प्रयासों के बावजूद महिलाओं का पिछड़ापन एक कठोर वास्तविकता के रूप में हमारे सामने हैं। भौतिक तथा मानसिक दोनों दृष्टियों से हमारी महिलायें सशक्तीकरण के उस उच्च सोपान तक नहीं पहुँच पायी हैं जहाँ तक उनका पहुँचना अपेक्षित था। इस देश की महिलायें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी दृष्टियों से अभी पिछड़ेपन की दहलीज को पार नहीं कर सकीं। वैश्वीकरण के इस दौर में भी महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया में बहुत से अंतर्विरोध देखे जा सकते हैं। यदि साधारण वर्ग की महिलायें भौतिक तथा मानसिक दोनों दृष्टियों से पिछड़ी हैं तो उच्च वर्ग की महिलायें मानसिक दृष्टि से शत प्रतिशत विकसित हैं– ऐसा नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः सोच की प्रगतिशीलता तब उभर कर सामने आती है जब हम अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा जड़ताओं से पूरी तरह मुक्त हों। सच तो यह है कि अंधविश्वास हमारे समाज की एक ऐसी दुर्बलता है जिसने उसे भौतिक और मानसिक रूप से पूरी तरह खोखला कर दिया है। विशेष रूप से इन अंधविश्वासों ने भारतीय महिला समाज के सशक्तीकरण के अभियान को गंभीर क्षति पहुँचायी हैं क्योंकि अपनी धार्मिक अतिसंवेदनशीलता के कारण बद्धमूल परंपराओं की रूढ़ियों तथा जड़ताओं के चलते ये अंधविश्वास उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ने नहीं देते और तब महिलायें सभी दृष्टियों से पिछड़ी रह जाती हैं।

इससे पहले कि हम इन अंधविश्वासों की चर्चा करें हमें यह जाना होगा कि अंधविश्वासों से हमारा आशय क्या है क्योंकि हमें अंधविश्वासों को एक सर्वस्वीकृत और सर्वमान्य अवधारणाओं के रूप में देखना होगा। इसके लिए हमें इसके कोशगत अर्थों को रेखांकित करना होगा। 5hind2dictionary.com के अनुसार अंधविश्वास के पाँच अर्थ हैं–

1. धार्मिक आस्था का एक विचारहीन या तर्कहीन रूप, विचार रहित या विवेकशून्य विश्वास।
2. परंपरागत रीति–रिवाज को बिना किसी आधार के स्वीकार करने की अवस्था।
3. तर्कहीन बातों या घटनाओं पर अमूमन पिछड़ेपन या धार्मिक कट्टरता की वजह से होने वाला विश्वास।
4. शकुन–अपशकुन में विश्वास।
5. तंत्र–मंत्र में विश्वास।

अंधविश्वास वैज्ञानिक दृष्टि का प्रतिलोम है। विज्ञान कार्य–कारण संबंध की तार्किकता को प्रमाणित करता है वहाँ भावना, विश्वास या मान्यता के लिए कोई स्थान नहीं होता। किंतु अंधविश्वास विज्ञान के नियमों का स्वाभाविक रूप से अतिक्रमण करते हैं, वहाँ इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि किसी घटना, व्यक्ति, विचारधारा या भाव के बीच में कोई कार्य कारण संबंध है या नहीं बल्कि अंधविश्वास में शुद्ध रूप से कार्य–कारण संबंध की अवहेलना होती है। अंधविश्वास के प्रभाव से बुद्धि का व्यापक फलक संकुचित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो अंधविश्वास से ग्रस्त होता है वह बौद्धिक तार्किकता से हटकर आत्ममुग्ध होकर उस अंधविश्वास का पोषण करने लगता है। यहाँ हमें अंधविश्वास और रूढ़ि के अंतर को भी समझ लेना चाहिए। सामान्यतः हम अंधविश्वास और रूढ़ि को एक ही अर्थ में ग्रहण करते हैं जबकि दोनों सजातीय होते हुए भी अपनी प्रकृति और कार्य में भिन्न हैं। दरअसल अंधविश्वास मूलतः भावना पर टिका रहता है। विश्वास का संबंध भावना से होता है और यह भावना जब पूरी तरह से विवेकहीन हो जाती है तब हम इसे अंधविश्वास कहते हैं। रूढ़ि दरअसल कोई विश्वास न होकर एक पद्धति या व्यवस्था है। इसका आरंभ सामाजिक उपयोगिता को दृष्टि में रखकर होता है। रूढ़ियाँ निश्चय ही अपने उद्भव काल में रूढ़ियाँ नहीं होती बल्कि वे सामाजिक ढाँचें के अनुकूल रहकर उस समय के समाज के उद्देश्यों को अपना समर्थन देती हैं किंतु जैसे–जैसे परिवेश बदलता है। समाज की प्राथमिकताओं, आकांक्षाओं व समस्याओं में परिवर्तन होता है ये सामाजिक पद्धतियाँ इस परिवर्तन में पीछे रह जाती हैं और तब समाज उनके पिछड़े रह जाने के कारण उन्हें रूढ़ि कहता है। इस संबंध में [6]डॉ. विद्या निवास मिश्र का यह अभिमत है– "किसी कारण से कोई व्यवस्था होती है और इस व्यवस्था को आदमी तब तक चलाये रखता है जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती। उस व्यवस्था को बिना परिवर्तन चलाये रखना ही रूढ़ि है। ये रूढ़ियाँ तब जड़ हो जाती हैं जब उनमें परिवर्तन नहीं होता। रूढ़ि तब तक रूढ़ि ही रहेगी जब तक कोई उसे बदल न दे।"

यों तो विश्व का कोई भी देश अंधविश्वासों से अछूता नहीं है और यह भी सच है कि हर देश की महिलायें किसी न किसी रूप में अंधविश्वास से ग्रस्त हैं किंतु भारतीय महिलायें जिस प्रकार से अंधविश्वासों को

अपने जीवन में आत्मसात किये हैं वह सचमुच चिन्तनीय है। वे गाँव जो नागरिक सभ्यता से अब तक अछूते हैं जहाँ की महिलायें आज भी शिक्षा के आलोक से वंचित हैं वहाँ अंधविश्वासों का प्रभाव इतना सघन है कि उनका संपूर्ण जीवन व्यवहार अधिकांशतः अंधविश्वास से ही संचालित होता है। इन अंधविश्वासों के चलते इन पर किसी तर्क या विवेक का कोई असर नहीं होता। शिक्षा के अभाव में इनकी विचार शक्ति इतनी दुर्बल हो जाती है कि वे विवेकपूर्वक सोच सकने में पूरी तरह असमर्थ हो जाती है।[7] रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक रश्मिरथी में कहा है—

"जब नाश मनुज पर छाता है
पहले विवेक मर जाता है"

ये पंक्तियाँ ऐसी नारियों पर पूरी तरह से घटित होती हैं जो किसी नशीली दवाओं के शिकार व्यक्ति की तरह अंधविश्वास से ग्रस्त होकर किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। उनकी संवेदनायें, भावनायें, सामाजिक सरोकार सभी समाप्त हो जाते हैं। किंतु केवल ग्रामीण अंचल की ये महिलायें ही अंधविश्वास से ग्रस्त नहीं होती बल्कि बड़े—बड़े महानगरों की शिक्षित तथा संपन्न महिलायें भी इन अंधविश्वासों के बंधनों में जकड़ी रहती हैं। इससे यह तो पूरी तरह स्पष्ट है कि शिक्षा निःसंदेह अंधविश्वासों के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है किंतु केवल शिक्षा या संपन्नता से अंधविश्वासों का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। वस्तुतः अंधविश्वासों के प्रतिरोध के लिए हमें सबसे पहले उनके स्रोतों की पड़ताल करनी होगी जो इन अंधविश्वासों के मूल में विद्यमान रहते हैं।

अंधविश्वास का पहला स्रोत है— भय, वस्तुतः मनुष्य ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति की शक्तियों को या तो मुग्ध भाव से देखा है या भय से। वर्षा, बिजली की चमक, बादलों की गरज, बाढ़, सूखा, भूकम्प का सामना करते हुए वह समझ नहीं पाता था कि इन घटनाओं का कारण क्या है? वह अपनी बुद्धि की सारी शक्तियाँ लगाकर भी इन घटनाओं के कार्य—कारण संबंध को नहीं खोज पाता था। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कुछ दैवीय शक्तियों की कल्पना की गयी और यह माना गया कि इन घटनाओं के घटित होने में दैवीय शक्तियाँ प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती हैं। यह मानकर उसने एक ओर तो इन दैवीय शक्तियों के प्रति आस्था का अनुभव किया या उन्हें प्रसन्न करने के प्रयत्न किये तो दूसरी ओर इन शक्तियों के प्रति भय का भी अनुभव किया। भय और आस्था के धूप—छाँहीं रंगों से धर्म का अस्तित्व सामने आया। यह मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति होती है कि वह अपने अनिष्ट की आशंका से ग्रस्त रहता है और इस अनिष्ट के निवारण के लिए वह उन उपायों पर भी विश्वास करने लगता है कि जिनका विवेक से कोई संबंध नहीं है। इस दृष्टि से ये उपाय अंधविश्वास कहे जा सकते हैं।

भय के साथ—साथ लाभ भी मनुष्य की सहजात वृत्ति है। हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार सुख प्राप्त करना चाहते हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुखकामी होता है। वह सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपायों का सहारा लेता है इनमें से कुछ उपाय विवेक का साथ नहीं छोड़ते किंतु मनुष्य सुख की लालसा में कभी—कभी ऐसे उपायों का आश्रय भी लेता है जो अंधविश्वास पर टिके होते हैं। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि क्या वास्तव में अपने अंधविश्वासी प्रयत्नों के द्वारा वह सुखी हो सकेगा। इसी लोभ के चलते मनुष्य अंधविश्वास के अतिरेक में मानव बलि देने से भी नहीं हिचकिचाता। इस प्रकार अंधविश्वास के ये तीन स्रोत— भय, धर्म तथा लोभ अंधविश्वासों को संचालित करते हैं।

महिलाओं में प्रचलित अंधविश्वास इतने अधिक हैं कि उन सबको लेकर चर्चा करना संभव नहीं है किंतु हम इन अंधविश्वासों को वर्गीकृत करते हुए कुछ महत्वपूर्ण अंधविश्वासों पर चर्चा कर सकते हैं यद्यपि इन अंधविश्वासों की चर्चा करना हमारा उद्देश्य नहीं है बल्कि हम इन अंधविश्वासों की चर्चा दो दृष्टिकोणों से कर रहे हैं— एक महिला सशक्तीकरण के मार्ग को अवरुद्ध करने में इन अंधविश्वासों की भूमिका, दो— इन अंधविश्वासों से मुक्ति की सही दिशा। यदि समग्र दृष्टि से देखा जाये तो महिलाओं में प्रचलित अंधविश्वासों को निम्नलिखित वर्गों में बाँट सकते हैं—

1. सामाजिक अंधविश्वास
2. पुरुष वर्चस्व को समर्थन देते अंधविश्वास
3. लिंग भेद संबंधी अंधविश्वास

इनमें से कुछ अंधविश्वास निश्चय ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था की देन हैं। इसे एक विडम्बना ही कहा जायेगा कि बहुत हद तक नारी समाज इन अंधविश्वासों के दायरे में स्वेच्छा से कैद हो गया है।

सामाजिक अंधविश्वासों के अंतर्गत महिलाओं में प्रचलित एक अंधविश्वास यह है कि विधवायें घृणा तथा उपेक्षा की पात्र हैं। उन्हें सामान्य स्त्री की तरह जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज भी समाज में विधवाओं को सम्मान तथा स्नेह से नहीं देखा जाता। विवाहित महिलायें अनेक मांगलिक अवसरों पर इनके साथ सम्मिलित नही होती हैं। महिला सशक्तीकरण में नारी का नारी के प्रति यह अपमान जनक दृष्टिकोण एक गंभीर बाधा है क्योंकि इससे भेदभाव के कारण नारी की संगठन शक्ति दुर्बल होती है। दूसरे नारी शक्ति का संपूर्णता से उपयोग नहीं हो पाता। यद्यपि समय व्यतीत होने के साथ—साथ विधवाओं के अब उतनी हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता और उन्हें परिवार व समाज में पूरा सम्मान मिल गया है यह भी नहीं कहा जा सकता। इस दिशा में विभिन्न नारी संगठनों को वैचारिक तथा रचनात्मक आंदोलन खड़े करने होंगे जो इस दृष्टि से नारी की सोच में बदलाव ला सके। इसी क्रम में हम संतानहीन स्त्रियों को लेकर महिलाओं में प्रचलित अंधविश्वास की चर्चा कर सकते हैं। दरअसल यदि हम नारी एकता के परिप्रेक्ष्य में विधवा विवाह या निःसंतान स्त्री पर बात करें तो इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू मानना होगा। चाहे विधवाओं के प्रति घृणा हो या निःसंतान स्त्रियों की उपेक्षा या दोनों को अपशकुन के रूप में देखना यह नारी को संगठनात्मक शक्ति को कमजोर करता है। उन्नीसवीं शती के भारतीय नवजागरण से लेकर वर्तमान तक इस दिशा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जाने के बावजूद हमें यह मानना होगा कि आज भी दोनों प्रकार के अंधविश्वास महिला सशक्तीकरण को अपने—अपने ढंग से कमजोर कर

रहे हैं क्योंकि महिला और महिला के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव महिला सशक्तीकरण के आंदोलन को अवरूद्ध करता है।[8] तुलसी की ये अवधारणा–

मोह न नारि नारि के रूपा ।
पन्नगारि यह रीति अनूपा ।।

पुरुष वर्चस्व वादी मान्यता से जुड़ी है किंतु भारतीय नारी आज भी किसी न किसी रूप में इस प्रवृत्ति से ग्रस्त है और इसी का परिणाम है विधवा और निःसंतान महिलाओं से दूसरी महिलाओं का व्यवहार जिसके लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर बहुत से प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि किसी न किसी रुप में किसी न किसी दृष्टि से भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपशकुनों के अंधविश्वास से ग्रस्त है किंतु भारतीय समाज में महिलायें इन अपशकुनों को लेकर बहुत अधिक संवेदनशील हैं। इन अपशकुनों के पीछे न कोई तर्क है और न वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह पोंगा पंडित पंथियों या परिवार में चली आ रही तर्कहीन मान्यताओं की देन है। दरअसल अपशकुनों का संबंध असुरक्षा की वृत्ति से है जब हम अपने भविष्य को लेकर आवश्यकता से अधिक सजग और संवेदनशील हो जाते हैं तब हम इन अपशकुनों को अपने जीवन में स्थान देने लगते हैं क्योंकि आर्थिक तथा सामाजिक रूप से जो महिलायें पुरुषों पर अवलंबित हैं वे अपने और अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा को लेकर बहुत चिन्तित रहती हैं। इसलिए ये अपशकुन उनकी चिन्ता को और बढ़ा देते हैं। महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया में महिलायें जैसे–जैसे स्वावलम्बी होती जायेंगी, जैसे–जैसे शिक्षा का प्रसार होगा उनमें वैज्ञानिक चेतना के प्रति आकर्षण होगा वैसे–वैसे इन अपशकुनों का अंधविश्वास क्षीण होता जायेगा।

भारत में आज भी अधिकांशतः पितृसत्तात्मक व्यवस्था है और यह व्यवस्था प्राचीनकाल से ही बनी रही है। इसी का यह परिणाम है कि समाज में जो नैतिकता के प्रतिमान निर्धारित किये गये हैं जो नियम बनाये गये उनमें प्रमुखतः पुरुषों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया। यही नहीं बल्कि महिला समाज पर कुछ ऐसे अंधविश्वास थोप दिये गये जो पुरुष वर्चस्व को भावनात्मक समर्थन देते हैं। हिंदू परिवारों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को यह घुट्टी में पिलाया जाता है कि एक बार विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मृत्यु तक पति के घर में ही रहना है। आलंकारिक भाषा में कहा गया कि 'कन्या की डोली पति के घर में आयेगी और वह अर्थी पर लेटने के बाद ही उस घर से अलग होगी।' यह किसी स्त्री का गुलामी का पट्टा लिखा लेने जैसा है। घर की चाहरदीवारी में बंद रहकर वह अपना पूरा जीवन बिता देती है। मुस्लिम परिवेश में महिलाओं की स्थिति और भी भयावह है जहाँ निकाह को तो वर वधू दोनों कुबूल करते हैं लेकिन मुस्लिम पुरुष बड़ी ही आसानी से तीन बार तलाक शब्द का प्रयोग कर स्त्री को निराधार छोड़ देते हैं किंतु यह सब प्रत्येक मुस्लिम समुदाय में धर्मानुमोदित है। हिंदू समाज की महिलाओं की विडम्बना यह है कि यहाँ डोली से लेकर अर्थी तक की अवधारणा परंपरा से चली आ रही है। एक अंधविश्वास ऐसा भी है जिसे कुछ धर्मग्रंथों ने भी अपना समर्थन दिया है। इसी अवधारणा को व्यवस्था प्रदान करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है–

"बालया वा युवत्या वृद्धया वापि योषिता ।
न स्वातंत्र्येण कर्तव्यं किंचित कार्य गृह व्यक्ति।।"

यह एक सुखद स्थिति है कि जैसे–जैसे नारी सामाजिक और आर्थिक रूप में स्वावलंबी होती गयी वैसे–वैसे यह बद्धमूल अंधविश्वास छिन्न–भिन्न होता जा रहा है। विशेष रूप से महानगरों में नारी के लिए पुरुष के साथ बंधकर रहना आवश्यक नहीं है। बल्कि वह जैसे–जैसे आर्थिक रूप से अपनी पहचान बनाती जा रही है वैसे–वैसे उसकी स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा है और वह बंधकर रहने की प्रवृत्ति से स्वतंत्र होती दिखाई दे रही है किंतु उन गाँवों में जहाँ आज भी स्त्री आर्थिक स्वावलंबन की कल्पना नहीं कर सकती जो संयुक्त परिवार के दायित्वों के बोझ तले दबी है जो पुरुष वर्चस्व के अंतर्गत जीने के लिए अभिशप्त है वहाँ आज भी डोली और अर्थी का यह अंधविश्वास पहले की तरह कायम है। पति उनके लिए परमेश्वर हैं और पति के कल्याण के लिए तरह–तरह के व्रत–उपवास करना उसकी नियति है। यह सही है कि धीरे–धीरे शिक्षा के प्रसार और रोजगारों के अवसर बढ़ाने के साथ–साथ अब पति–पत्नी के संबंध यथार्थ के धरातल पर आ गये हैं और महिला सशक्तीकरण हेतु सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों ने पुरुषवादी मानसिकता पर आघात किया है। किंतु अभी इस दिशा में यह अंधविश्वास उस पूरे महिला समुदाय को प्रभावित कर रहे हैं जो शिक्षा और रोजगार के अवसरों से बहुत हद तक वंचित है। इसी क्रम में हम लिंगभेद से जुड़े अंधविश्वास की चर्चा कर सकते हैं वैश्वीकरण तथा बाजारवाद के इस दौर में भी अशिक्षित लोग ही नहीं शिक्षित तथा संपन्न लोग भी यह चाहते हैं कि उनके यहाँ पुत्र जन्म ले। वहाँ कन्या के जन्म पर पूरे परिवार को जैसे साँप सूँघ जाता है। इस अंधविश्वास के पीछे अवधारणा हैं। पहली यह कि लड़की तो पराये घर की होती हैं। अतः माता–पिता की देखभाल पुत्र ही करेगा। दूसरा दहेज प्रथा के कारण लड़कियाँ माता–पिता पर बोझ समझी जाती हैं, तीसरा किसी परिवार की वंशबेली को आगे बढ़ाने का एकमात्र विकल्प पुत्र ही है। इसी सोच का परिणाम है कि[10] 2011 की जनगणना के अनुरूप लिंगानुपात 919 है अर्थात् 1000 पुरुषों के पीछे 919 महिलायें हैं। हमारे देश के लिए यह लज्जा का विषय है कि आज भी भारत में कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनायें होती है। राजस्थान, हरियाणा, जैसे राज्यों में आज भी लड़कियों की घटती संख्या चिन्ता का विषय है। यहाँ आकर नारी सशक्तीकरण के सारे दावे खोखले प्रतीत होते हैं क्योंकि जब कन्या जन्म ही नहीं लेगी तो सशक्तीकरण किसका होगा। इसलिए यदि वास्तव में हमें महिला सशक्तीकरण को वास्तविक रूप में वांछित उद्देश्यों तक पहुँचाना है तो हमें इस अंधविश्वास से मुक्त होना होगा कि लड़का ही माता–पिता के दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक है। आज के दौर में कन्यायें भी माता–पिता के दायित्वों का निर्वहन गहरी संवेदनशीलता के साथ कर रही हैं। वे किसी भी दृष्टि से लड़कों से कम नहीं है और जैसे–जैसे कन्याओं में शिक्षा का प्रसार बढ़

रहा है और उन्हें भी हर क्षेत्र के प्रतिष्ठित पदों पर कार्य करने के अवसर मिल रहे हैं वैसे–वैसे दहेज प्रथा पर अंकुश लग रहा है किंतु दहेज प्रथा के कारण भी हमारे समाज में लिंग भेद को बल मिल रहा है। महिला सशक्तीकरण के वांछित लक्ष्यों को पाने के लिए आधारभूत रूप से लिंगभेद के इस अंधविश्वास के उन्मूलन के लिए कार्य करना होगा। इस दिशा में सरकारी उपक्रमों के प्रयासों के साथ स्वयं सेवी संगठनों को अधिक काम करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कहना होगा कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं में प्रचलित अंधविश्वासों को लेकर एक जन जागरण अभियान आरंभ करना होगा। हम इस दिशा में कितने ही प्रयत्न क्यों न करें जब तक महिलाओं में प्रचलित अंधविश्वासों का अस्तित्व बना रहता है तब तक कहना होगा कि दिल्ली दूर है। इन अंधविश्वासों के उन्मूलन के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। पहले स्तर पर तो हमें प्राथमिक शिक्षा से ही ऐसी शिक्षा व्यवस्था को गति देनी होगी जिसमें अंधविश्वासों का प्रतिरोध करने वाली सामग्री भी शामिल की जाए। ऐसी शिक्षा को निरंतरता में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस शिक्षा सामग्री को शिक्षाप्रद होने के साथ–साथ मनोरंजक होना भी आवश्यक है। इसके साथ ही इन अंधविश्वासों के विरुद्ध वातावरण बनाने के लिए मीडिया को भी कारगर हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा। सरकार को अंधविश्वासों को हतोत्साहित करने के लिए कड़े नियम कानून बनाने होंगे उनका उचित कार्यान्वयन करना होगा। स्वयं सेवी संस्थाओं तथा द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों को ऐसे क्षेत्रों तक अपनी पहुँच बनानी होगी जहाँ की महिलायें कम शिक्षित या अशिक्षित है या किसी भी रूपी में समाज की मुख्यधारा के साथ चलने में असमर्थ हैं। ऐसी महिलाओं से जुड़कर उन्हें अंधविश्वासों के प्रति जागरूक करना होगा।

निष्कर्ष

वस्तुतः महिला सशक्तीकरण का मिशन जिन कारणों से अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है उनमें एक महत्वपूर्ण कारण महिलाओं में प्रचलित अंधविश्वासों पर निर्णायक प्रहार न हो पाना है जब तक एक मिशन के रूप में समवेत रूप से यह निर्णायक प्रहार नहीं किया जाएगा तब तक यह मिशन अधूरा ही रहेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Dr- Dasarathi Bhuyan, "Empowerment of Indian Women; A challenge of 21st century"- Orrissa Review Jan- 2006, Page – 60*
2. *United Nations Organization (2001) Conceptual Frame Work on Empowerment of Women.*
3. *Srinivasa D, Siddegowda Y-s- (2015) Recent Trend in Women Empowerment : An analysis- International Education & Research Journal* (ERJ)-(IERJ)*Vol : 1, Issue : 5 Dec- 2015 Page 100-103.*
4. *भारत : 2016 वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, सं. 60 पृ. 826–829.*
5. http://www.hindi2dictionary.com/%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8-meaning-hindi.html
6. *मिश्र विद्यानिवासय ''लोक और लोक का स्वर'', प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, जनवरी, 2009, पृ. 28.*
7. *दिनकर रामधारी सिंहः रश्मिरथी, तृतीय सर्ग, पृ. 30, उदयाचल प्रकाशन, पटना*
8. *तुलसीदास, रामचरित मानस उत्तरकांड : दोहा सं. 115– तीसरी चौपाई, गीता प्रेस गोरखपुर*
9. *मनुस्मृति, सं. भागवतुला सुब्रह्मण्यम पृ. 226, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी*
10. *भारत : 2016 वार्षिक संदर्भ ग्रंथ प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, सं. 60 पृ. 09*